न्यायालय – श्री कुमार अमित मनु
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसुचित
जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका (बिहार)
जी.आर. वाद संख्या –1453/14
बिहार राज्य वनाम धनंजय सिंह

फार्म – ए

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका

उपस्थित– कुमार अमित मनु, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह–
विशेष न्यायाधीश अनुसुचित जाति/जनजाति अनुसुचित जाति/जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका

निर्णय की तिथि – 12.05.2026

जी.आर. वाद संख्या – 1453/14

प्राथमिकी संख्या – 123/14

धारा अंतर्गत : 323, 341, 325, 504, 354B भा0द0वि0 एवं 3(i)(r)(w)(i)(ii) अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

थाना – **बेलहर थाना, बांका**

सूचक	रंभा देवी, पति अशोक दास, सौताडीह, थाना बेलहर, जिला बांका।
अभियोजन की तरफ से विद्वान अधिवक्ता	श्री शंकर नुतन लाल (विशेष लोक अभियोजक)
अभियुक्त	1. **धनंजय सिंह** पिता स्व0 अम्बिका सिंह, ग्राम सौताडीह, थाना बेलहर, जिला बांका, उम्र लगभग 51 वर्ष।
अभियक्तों की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री अमोद कुमार मंडल (विद्वान अधिवक्ता)

फार्म – बी

अपराध की तिथि	27-07-2014
प्राथमिकी की तिथि	27-07-2014
अंतिम प्रपत्र की तिथि	25-10-2014
आरोप गठन की तिथि	29-03-2017
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	31-05-2017
निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि	02-05-2026
निर्णय की तिथि	12-05-2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	N.A.

न्यायालय– कुमार अमित मनु, अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बांका

न्यायालय – श्री कुमार अमित मनु
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसुचित
जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका (बिहार)
जी.आर. वाद संख्या –1453/14
बिहार राज्य वनाम धनंजय सिंह

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का कम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी/ आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर छोड़ने की तिथि	आरोपित धारा	अभियुक्तों की दोषसिद्धि या दोषमुक्ति	दी गई सजा/ दंडादेश	धारा 428 दंड प्रकिया संहिता (Cr.P.C.)के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान भुगती गई हिरासत की अवधि
1	**धनंजय सिंह**	08-09-14	01-11-14	323, 341, 325, 504, 354B भा0द0वि0 एवं 3(i)(r)(w)(i)(ii) अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	दोषमुक्ति	N.A	

फार्म – सी

अभियोजन/प्रतिरक्षापक्ष/न्यायालय साक्षियों की सूची

अ. अभियोजन साक्ष्य

कम सं0	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
01.	मनोज दास	इच्छुक
02.	कैलाश दास	इच्छुक
03.	जमनी देवी	इच्छुक
04.	रम्भा देवी	सूचक
05.	वीणा देवी	पक्षद्रोही

ब. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि हो,

कम सं0	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
Nil	Nil	

स. न्यायालय साक्षी, यदि हो

कम सं0	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
Nil	Nil	

न्यायालय – श्री कुमार अमित मनु
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसुचित
जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका (बिहार)
जी.आर. वाद संख्या –1453/14
बिहार राज्य वनाम धनंजय सिंह

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय न्यायालय प्रदर्श की सूची

अ. अभियेाजन

कम सं0	प्रदर्श	विवरण
01.	प्रदर्श – 1	प्राथमिकी पर सूचिका का हस्ताक्षर

ब. प्रतिरक्षा प्रदर्श –

कम सं0	प्रदर्श	विवरण
1	Nil	Nil

स. न्यायालय प्रदर्श

कम सं0	प्रदर्श	विवरण
1	Nil	

द. वस्तु प्रदर्श

कम सं0	प्रदर्श	विवरण
1	Nil	

<u>निर्णय</u>

1. इस वाद में उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323, 341, 325, 504, 354B भा0द0वि0 एवं 3(i)(r)(w)(i)(ii) अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आरोप गठित कर विचारण किया गया।
2. संक्षेप में अभियोजन का वाद यह है कि सूचिका रम्भा देवी ने एक लिखित आवेदन थानाध्यक्ष बेलहर को इस आशय का दिया है कि दिनांक 27.07. 2014 को समय करीब 8 बजे वह अपने खेत जा रही थी इसी कम में धनंजय सिंह के अड्डा से गुजर रही थी तब ही धनंजय सिंह गंदी–गंदी गाली बकते हुये दौडकर आया और कहने लगा हरिजन होकर मेरे अड्डा पर कैसे चढ गई। मना करने पर वह सूचिका का हाथ पकडकर अपने ओर गंदी नियत से खिंचने लगा किसी तरह से वह छुडाकर भागने लगी तो दाहिने हाथ पर खंती से मार दिया और बेरहमी से बांया हाथ तोड दिया और पुरे शरीर पर खंती से मारा तथा मारपीट में पूरा नगन कर दिया हल्ला पर गांव के लोग जमा हुये तो वह जाते हुये केस करने पर पुरे परिवार को बरबाद करने का धमकी दिया।
3. सूचिका के लिखित आवेदन के आधार पर बेलहर थाना काण्ड संख्या 123/2014 दिनांक 27.07.2014 दर्ज कर अनुसंधान किया गया।

न्यायालय – श्री कुमार अमित मनु
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसुचित
जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका (बिहार)
जी.आर. वाद संख्या –1453/14
बिहार राज्य वनाम धनंजय सिंह

अनुसंधानोपरांत प्राथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 96/14 दिनांक 25.10.2014 को धारा 341, 323, 325, 354बी एवं 3(iii)(x)(xi) अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत समर्पित किया गया।

4. दिनांक 06.01.2015 को अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 504, 354बी भा0द0वि0 एवं 3(iii)(x)(xi) अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया तथा विशेष न्यायालय होने के कारण वाद विचारण हेतु इस न्यायालय में हस्तांनातरीत किया गया।

5. दिनांक 29.03.2017 को अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323, 341, 325, 504, 354 B भा0द0वि0 एवं 3(i)(r)(w)(i)(ii) अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आरोप गठन कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया समझाया गया, सुन समझ कर अभियुक्तगण ने आरोप को शिर्ष से इन्कार कर वाद विचारण का दावा किया।

6. अभियोजन की ओर से विचारण के क्रम में 05 साक्षी प्रस्तुत किया गया है अ0सा0सं0–01 मनोज दास, अ0सा0सं0 –02 कैलाश दास, अ0सा0सं0–03 जमनी देवी, अ0सा0सं0–04 रम्भा देवी एवं अ0सा0सं0 –05 वीणा देवी का परिक्षण कराया गया।

7. अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्राथमिकी आवेदन पर सूचिका के हस्ताक्षर को प्रदर्श – 1 साबित कराया गया है।

8. अभियोजन का साक्ष्य बन्द होने के पश्चात् अभियुक्तगण का बयान धारा–313 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अधिरोपित आरोप से इन्कार करते हुये स्वंय को निर्दोष कहा है।

9. बचाव पक्ष की ओर से ना तो किसी का मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।

10. अब न्यायालय के समक्ष निर्णय के बिन्दु पर विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करते में सफल रहा है?

मंतव्य

11. अ0सा0सं0 – 05 वीणा देवी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया तत्पश्चात् अभियोजन को प्रतिपरीक्षण का मौका दिया गया परन्तु

प्रतिपरिक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया जिससे अभियोजन वाद को बल मिल सके।

12. साक्षी 01 मनोज दास कंडिका 1 घटना सातवा महिना 2014 की है। समय 8 बज रहा था। मैं दो खेत के बगल में था। धान कर रहें थे। रम्भा देवी अपना खेत देखने धनंजय सिंह के खेत होकर जा रही थी तो वो कहा चमैन होकर मेरे खेत से क्यों जा रही है। कहा तुम खेत अछूत कर दिया। उसके बाद गाली गलौज किया कहा चमैन हो रंडी हो क्यो जाती है। लोहे के खंती से मारपीट करना शुरू कर दिया। गिरा दिया कपडा खींच लिया साया खिचने पर चिल्लाने लगी। मारपीट से हाथ टूट गया हमलोग आये देखे तो धनंजय सिंह भाग गया। वे नग्न थी उसे किसी तरह उठाकर थाना ले गये। कंडिका 3 रम्भा देवी मेरा भवो है। अभियुक्त का घर मेरे घर से दो सौ गज की दुरी पर है। मुदालय का घर झंझट के बाद से आना–जाना नहीं होता है। हम से भी गाली–गलौज हुआ है। थाना में बोले की ये हमे भी गाली दिया है। कंडिका 5 उस खेत का खाता खेसरा रकबा नहीं जानते है। चौहद्दी उत्तर में खेत, दक्षिण में सरगुण सिंह, पुरब रम्भा देवी का खेत पश्चिम में सड़क है। कंडिका 6 खेत लाहरिया बहियार में है। धनंजय का खेत होकर रम्भा देवी को दो साल पहले से जाते देखे है। कितनी बार गई गिनती नहीं है। बहियार में कुल दो, चार पॉच आदमी था। मुझे किसी से बातचीत नहीं हुई। कंडिका 8 रम्भा देवी और धनंजय के बीच में आने का मौका नहीं मिला। कंडिका 10 पुलिस को कपडा के विषय में बताये थे। धनंजय और मेरे खेत की दुरी 100 गज पर उत्तर में है। खेत पर खुन गिरा देखे थे। कपडा में भी खून लगा देखे थे। रास्ता में भी गिरा हुआ देखे थे। कंडिका 11 पुलिस को खुन लगा कपडा दिये थे। अस्पताल में गया था सरकारी अस्पताल बेलहर फिर बांका आये। कंडिका 14 धनंजय सिंह भी केश झूठा किया है। अशोक दास पर जो सही नही था। उसमें मै मुदालय हूॅ। कंडिका 15 लौटकर आने के बाद केस दो दिन बाद किया। कंडिका 18 अड्डा सुखा नही था गिल्ला था। खेत में हल्का पानी था। अभी रोपा चालु नहीं हुआ था। अभियुक्त का खेत जोता हुआ नहीं था।

13. साक्षी 02 कैलाश दास कंडिका 1 घटना तीन साल पहले सुबह 8 बजे की है। उस समय मैं अपने खेत में था। रम्भा देवी व धनंजय का खेत हमारे खेत से दुर है। धनंजय सिंह के खेत में चिल्ला–चिल्ली हुआ। हमलोग दौडे बहुत लोग दौडे तो देखे रम्भा देवी कीचड से लेटायी हुई थी साडी खुल गया था। हाथ में मार था। धनंजय सिंह मारा लाठी से। दोनों हाथ व अंगुली पीठ में चोट देखे। हमे कुछ नहीं बोली। कंडिका 3 मेरे खेत से धनंजय का खेत 100

गज पूरब दिशा में है। कंडिका 4 नया अड्डा था साधारण कच्चा था। अड्डा पर और कुछ नहीं था। अड्डा चौडा डेढ फिट था। धनंजय के खेत के पास और कोई नहीं था। कोई बात का झंझट नहीं हुआ। अड्डा का नुक्सान ज्यादा नहीं हुआ। मैं जब गया तो 10 बीस औरत, बच्चा मुदालयों को पहचानते है। कंडिका 5 सिंगेश्वर दास विनोद पुरे गॉव का दौडा गॉव के औरत भी थे। सभी का नाम नहीं बता सकते है। मैं रम्भा देवी के साथ अस्पताल आये थे। कंडिका 6 खेत से थाना ले गया फिर थाना से अस्पताल ले गये। थाना 9–10 बजे पहुॅचे। एक घंटा रहें। बॉका दुसरे दिन पहुॅचे। कंडिका 7 खून लगा कपडा नहीं देखे। कपडा पर व मिट्टी पर खुन नहीं देखे। कंडिका 9 बविता देवी को जानते है उसने किस पर केस किया मालुम नहीं है। धनंजय सिंह की पत्नी`स किय अशोक दास पर जो रम्भा का पति छोड दिया है।

14. साक्षी 03 जमनी देवी कंडिका 1 यह 4 साल पहले का है। समय करीब 8 बजे सुबह का था। हम धान रोपने गये थे। मेरी बहु ब्रम्हा देवी अड्डा पर जा रही थी धान रोपने के लिए तो धनंजय बोला कि साली बुरचोदी चमैन, मेरी अड्डा पर क्यों जा रही ह मेरा अड्डा छुआ जायेगा। धनंजय ने मेरी बहु को खन्ती से बाह में मारा उसके बाद पीठ में मारा उसके बाद धनंजय ने मेरी बहु का सारा कपडा फाड दिया और पुरा नंगा कर दिया। तो हल्ला हुआ हल्ला होने पर हमलोग वहॉ पहॅचे तो हमलोग बहु को कपडा से ढके और कपडा पहनाये। धनंजय शरीर पर एक भी कपडा नहीं रहने दिया था। उसके बाद धनंजय वहॉ से भाग गया और धमकी दिया कि थाना मत जाना नहीं तो सभी को जान से मार देंगे। पहले थाना गये फिर वहॉ से बेलहर अस्पताल गये फिर वहॉ से रेफर किय तो बांका अस्पताल आये। कंडिका 5 गाली–गलौज की बात भी पुलिस को बताये थे। पुलिस को बताये थे कि उसका पुरा कपडा खिंच लिया था। कंडिका 6 यह भी बताये थे कि हम दौड कर गये तो धनंजय भाग गया। कंडिका 9 खेत से बांका अस्पताल आने के बीच किसी से कोई मुलाकात या बातचीत नहीं हुआ। पुनः कहती है कि सरपंच और मुखिया से बातचीत हुआ था। कंडिका 10 उस दिन बारशि नहीं हुआ था। अड्डा सुखा हुआ था। घटना के समय खेत सुखा हुआ था। खेत में किचड था परन्तु अड्डा सुखा हुआ था। कंडिका 11 धनंजय भी केस किया है। स्वतः कहती है कि मेरा बेटा महाराष्ट्र में कपडा बेचता है और घटना के दिन वहॉ नहीं था। कंडिका 14 खन्ती से हाथ टुट गया, खून निकला था, हड्डी चूर–चूर हो गया था। खून जमीन पर भी गिरा और कपडा पर भी गिरा। खून लगा कपडा पुलिस को दिये थे।

15. साक्षी 04 रम्भा देवी (सूचिका) कंडिका 1 यह घटना 7–8 साल पहले का है। सुबह 7–8 बजे का समय था। घटना के समय हम खेत पर थे। कंडिका 2 धनंजय सिंह से झगडा हुआ था, वह अकेले था। झगडा में मारपीट तथा गाली–गलौज किया था। इसी बात का केस किये थे थाना में। कंडिका 3 इसी बात को लेकर बेलहर थाना में केस किये थे आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर है पहचानती हूँ इसके प्रदर्श – 1 अंकित किया जाता है। कंडिका 5 इस कांड में हमने अपनी स्वेच्छा से मेल–मिलाप, राजी–खुशी से कर लिये है। अनुमति आवेदन सह सुलहनामा आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर है। कंडिका 6 अब अभियुक्तों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मेल होने के कारण आगे अब गवाही भी नहीं देना चाहते है। कंडिका 7 मुदालय से केवल मन मुटाव हुआ ये ना तो हमको जाति सूचक शब्द कहा ना ही मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार किया।

16. वर्तमान वाद में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल पॉच गवाहों का परीक्षण कराया गया है। कथित घटना की पीडिता रम्भा देवी का परीक्षण अ0सा0सं0 – 4 के रूप में किया गया है। उनके साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने घटना के संबंध में केवल सामान्य समष्टिगत आरोप लगाए हैं तथा कथित मारपीट, उसकी प्रकृति, तरीका एवं अभियुक्तों द्वारा उनकी लज्जा भंग किए जाने के सबंध में कोई विशिष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कथित जाति सूचक अपमानजनक शब्दों अथवा टिप्पणियों का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। विशेष रूप से अपने साक्ष्य में उन्होने यह भी स्वीकार किया है कि वाद का समझौता न्यायालय के बाहर हो चुका था। अपने प्रतिपरीक्षण में उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात से इंकार किया है कि किसी व्यक्ति द्वारा उनको जाति का नाम लेकर उन्हें अपमानित अथवा गाली–गलौज किया गया था। अन्य साक्षी अर्थात अ0सा0सं0–1, अ0सा0सं0–2 एवं अ0सा0सं0– 3 ने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी गवाह बताया है, किन्तु उनके साक्ष्य घ टना की प्रकृति एवं मारपीट के तरीके के संबंध में परस्पर विरोधाभास है। जहॉ अ0सा0सं0 – 1 ने कहा है कि मारपीट लोहे के रॉड से की गई, वही अ0सा0सं0 – 2 ने कहा है कि मारपीट लाठी से की गई थी, जो कि दो भिन्न प्रकार के हथियार है। इसके अतिरिक्त अ0सा0सं0 – 2 एवं अ0सा0सं0 – 3 के साक्ष्य के सावधानीपूर्वक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वे दोनों कथित मारपीट समाप्त हो जाने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुँचे थे तथा उन्होने केवल पीडिता को निर्वस्त्र अवस्था में देखा था। शेष साक्षी अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं करते हुए पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त मौखिक साक्ष्यों के समग्र मुल्यांकन से यह प्रतीत होता है कि स्वयं

पीडिता ने अभियोजन कथन का आवश्यक तथ्यों के संबंध में पूर्ण समर्थन नहीं किया है तथा अन्य साक्षियों के साक्ष्य न केवल परस्पर विरोधाभासी हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि वे घटना के वास्तविक प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे और कथित घटना समाप्त हो जाने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुॅचे थे। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक परीक्षण एवं मूल्यांकन के उपरांत, यह न्यायालय यह निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

आदेश

उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर धनंजय सिंह को धारा 323, 341, 325, 504, 354B भा0द0वि0 एवं 3(i)(r)(w)(i)(ii) अनुसुचित जाति⁄जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दोष मुक्त करते हुये उन्हे बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित तथा खुले न्यायालय में उभयपक्षों के उपस्थिति में पढ़कर सुनाया गया।

अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बांका दिनांक 12.05.2026	अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बांका दिनांक 12.05.2026